



1. हरियाणा राज्य से बाहर के प्रार्थियों को प्रशिक्षण नहीं दिया जायेगा ।
2. सामान्य जाति/पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए फीस 3000-00 रुपये ।
3. अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए फीस 1500-00 रुपये ।
4. उपरोक्त फीस के अलावा सामान्य जाति/पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को सर्विस टैक्स के रूप में 540-00 रुपये तथा अनुसूचित जाति के उम्मीदवार को सर्विस टैक्स के रूप में 270-00 रुपये हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय में स्वयं जमा करवा कर इसकी रसीद लेनी होगी ।
5. एल0एम0वी0-एनटी/एलटीवी लाईसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए ।
6. जब उम्मीदवार को फार्म जमा करवाने उपरान्त सम्बन्धित अथारटी से हैवी लरनर लाईसेंस बनवाने के लिए इस कार्यालय से पत्र मिलेगा और सम्बन्धित अथारटी जब उसका हैवी लरनर लाईसेंस बनादेगी तो उसके बाद आवेदक को फीस हरियाणा राज्य परिवहनके कार्यालय में जमा करवानी होगी तथा सर्विस टैक्स अलग से जमा करवाना होगा ।
7. उम्मीदवार की आयु 20 वर्ष से अधिक हो ।
8. आनलाईन फार्म फिल अप करने उपरान्त उम्मीदवार को उसका प्रिन्ट निकलवाकर प्रन्द्रह दिन में किसी भी कार्य दिवस को हरियाणा राज्य परिवहन के कार्यालय में जमा करवाना होगा ।
9. यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का है तो उसे प्रमाण पत्र की फोटो प्रति फार्म के साथ भेजना होगा ।
10. आनलाईन फार्म पर कम्प्यूटर क्रम संख्या, तिथि व समय अंकित करेगा और ट्रेनिंग भी क्रम संख्या की वरीयता के हिसाब से ही दी जाएगी ।
11. जिस अथारटी से एल0एम0वी0-एन0टी या एल0टी0वी0 लाईसेंस बनवाया है उस लाईसेंस अथारटी की पुष्टि का प्रमाण पत्र फार्म के साथ लगाना होगा ।
12. योग्यता के प्रमाण पत्र की सांक्ष्याकित प्रति फार्म के साथ लगानी होगी ।
13. वोटर कार्ड/आधार कार्ड/राशन कार्ड की सांक्ष्याकित प्रति फार्म के साथ लगानी होगी ।
14. एल0एम0वी0-एनटी/एल0टी0वी0 ड्राईवर लाईसेंस की सांक्ष्याकित प्रति फार्म के साथ लगानी होगी ।
15. प्रत्येक उम्मीदवार को 10/-रु0 के स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र देना होगा जो कि नोटरी से अटैस्टीड हो तथा उसे फार्म के साथ लगाये ।
16. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जायेगा जब वह सभी शर्तें पूर्ण करता है ।
17. जो भी प्रार्थी निश्चित अवधि में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं होगा उसे वरिष्ठता सूचि से रद्द कर दिया जायेगा तथा उसे दौबारा से आवेदन करना होगा ।
18. लम्बित सूचि के प्रार्थी आगामी बैच के लिए योग्य होंगे व उन प्रार्थियों को पुनः लरनर लाईसैन्स बनवाने की आवश्यकता नहीं होगी । यदि लम्बित सूचि के प्रार्थी को उस बैच में दाखिले का मौका दिया जाता है और वह फीस जमा नहीं करवाता है तो आगामी सूचि के लिए योग्य नहीं होगा ।
19. नया बैच शुरू करने के लगभग एक महीना पहले सूचि जारी करनी होगी ।
20. प्रशिक्षण के दौरान जो भी प्रशिक्षु अधिकतम सात दिन तक अनुपस्थित रहेगा या टैस्ट में फेल होने पर सात दिन तक का अतिरिक्त प्रशिक्षण लेना होगा, उसकी फीस सामान्य फीस से आधी होगी तथा उसका सर्विस टैक्स अलग से देय होगा ।
21. 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टुबर को राष्ट्रीय अवकाश होने के कारण प्रशिक्षण का अवकाश रहेगा ।